

न्यायालय तहसीलदार तहसील कर्मान्क समा जिला इन्दौर

प्रकरण क्रमांक 1325 / अ-6/2021-22

श्रीमति शिवानी पति श्री अविनाश अग्रवाल

निवासी- 9 / 12 -ए डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग इन्दौर



विरुद्ध

ओयस्टर बिल्डिंग इंडिया प्रा. लि.

निवासी- 201 स्टारलिट टावर 29 व्हाय. एन. रोड इन्दौर

आवेदक

अनावेदक

आदेश पारित एवं घोषित दिनांक 25/11/2021

(आवेदन पत्र म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत)

आवेदक श्रीमति शिवानी पति श्री अविनाश अग्रवाल निवासी- 9 / 12 -ए डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग इन्दौर द्वारा ग्राम बिहाड़िया के खसरा नंबर सर्वे नंबर 79 / 1 व अन्य में विकसित कालोनी ग्रीन फिल्ड टाउन के प्लाट क्रमांक 44 क्षेत्रफल 2360.97 Sq. Fts. को पंजीकृत विक्रयपत्र क्र. MP179092021A1440543 दिनांक 16/06/2021 से अनावेदक ओयस्टर बिल्डिंग इंडिया प्रा. लि. निवासी - 201 स्टारलिट टावर 29 व्हाय. एन. रोड इन्दौर से क्य कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्लाट का नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तिहार का प्रकाशन कराया गया। समय ब्राह्य कोई आपत्ति प्राप्त नहीं।

प्रकरण में उक्त प्लाट के संबंध में क्षेत्रिय रा.नि. से जांच प्रतिवेदन तलब किया गया क्षेत्रिय राजस्व निरिक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय राजस्व निरिक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि उक्त भूमि में विकसित कालोनी ग्रीन फिल्ड टाउन का श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 36/अ-2/18-19 आदेश दिनांक 18/02/2019 अनुसार म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत व्यपवर्तन स्वीकृत किया गया है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं क्षेत्रिय रा.नि. के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्लाट का नामांतरण चाहा गया। जिस संबंध में अनावेदक द्वारा सहमति पत्र से नामांतरण में सहमति दी गई।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 109-110 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बिहाड़िया स्थित भूमि खसरा नंबर सर्वे नंबर 79 / 1 व अन्य में विकसित कॉलोनी ग्रीन फिल्ड टाउन के प्लाट क्रमांक 44 क्षेत्रफल 2360.97 Sq. Fts. पर अनावेदक का नाम कम किया जाकर आवेदक श्रीमति शिवानी पति श्री अविनाश अग्रवाल पता - 9 / 12 -ए डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग इन्दौर का नाम दर्ज किया जावे। आवेदक/केता वर्ष 2021-22 से प्रतिवर्ष भू-राजस्व रु...../— एवं जिस पर पंचायत उपकर/- जमा करे। मौका / स्वत्व विवाद व अन्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। भू-राजस्व की वसूली हेतु यह आदेश पारित किया गया। पुर्णनिर्धारण संबंधी जो आदेश प्रकरण में पारित किये जावेगे वो इस प्रकरण में बंधन कारक होंगे। आदेशानुसार आवेदक से कुल बकाया राशि जमा करवाकर अभिलेखों में प्रविष्टि व आवश्यक संशोधन किया जावे। प्रकरण प्रवाचक नस्ति बद्ध होकर दाखिल रिकार्ड हो।

प्रतिलिपि :-

1. राजस्व निरिक्षक द्वारा बिहाड़िया..... तहसील बिचौली हप्सी जिला इन्दौर की डायवर्शन बी-1 में डायवर्शन आदेश अमल दरामद कर वसूली हेतु प्रेषित
2. हल्का पटवारी ग्राम बिहाड़िया तहसील बिचौली हप्सी जिला इन्दौर की ओर रेकार्ड में अमल दरामद हेतु
3. आवेदक श्रीमति शिवानी पति श्री अविनाश अग्रवाल पता- 9 / 12 -ए डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालन हेतु

तहसीलदार

तहसील बिचौली हप्सी, इन्दौर

तहसील बिचौली हप्सी, इन्दौर

तहसीलदार

तहसील बिचौली हप्सी, इन्दौर

तहसील बिचौली हप्सी, इन्दौर